(c) Industrial licence applications have been rejected on any one or more of the following grounds:—

(i) No scope for creation of additional capacity in the proposed item of manufacture.

(ii) Proposal is not economically viable|technically sound| not well formulated.

(iii) Proposed item of manufacture is reserved for public sector/ small scale sector|de-licensed.

(iv) Proposal is not covered under the current policy guidelines.

(v) Based on imported raw material.

(vi) Highly polluted industry and its item of manufacture is hazardous.

(vii) Proposal does not conform to the locational policy of the Government, etc.

Foreign collaboration and their investments

2827. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the country-wise break-up of the foreign collaborations approved during 1986 and 1987; and

(b) the country-wise break-up of foreign investments approved during 1986 and 1987?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Statement showing country-wise break-up of foreign collaborations and investment approved during and 1987 are enclosed as anntxure [*See* Appendix CXLIX, Annexure No. 156]

लघु उद्योगों को दी गयी वित्तीय सहायता का वापस किया जाना

2828. **श्री अशोक नाथ वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने मूल उद्देश्य से पीछे हटने पर पुनः विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को आवंटित किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्र सरकार अनुपत्र में दर्शायी गयी तथा उसमें दी गई टिप्पणियों के अधीन लघु एककों को दी जा रही विद्यमान वित्तीय सहायता को वापस लेने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्यों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार योजना (एस०ई०ई०यू०वाई०) रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन हेतु सीमान्त धनराशि योजना तथा इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज राजसहायता (31-3-1985 से बंद कर दी गई है किन्तु राज्यों को शेष दावों की प्रतिपूर्ति की जा रही है) जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है। एस०ई०ई०यू०वाई योजना के अधीन केन्द्र सरकार प्रत्येक ऋण पर 25 प्रतिशत पूंजीगत राजसहायता दे रही है। उक्त राजसहायता भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दी जाती है। 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान इन योजनाओं के अधीन लघु एककों को दी गई वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं। [**देखिये** परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं० 157]

घरेलू गैस वितरकों के साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव

2829. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी दिल्ली में घरेलू गैस वितरकों द्वारा उनक